

धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार - अनु-25-28.

अनु-25 :- व्यापकतः धार्मिक स्वतन्त्रता -

⇒ भारत में "धर्मवर्तण" के माध्यम किसी भी धर्म को विकार कर सकते हैं।

जैसे - सिक्खों के 5-ककाहार:-

केश, कड़ा, कृपाण, कंघा, कट्टा.

अनु०-26 :- सामूहिक धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार :-

↳ अपने धर्म से सम्बंधित कार्य प्रयोजन कर सकते हैं।

- हिन्दु - माता रानी की जगरता, कथा

- मुस्लिम - नमाज अदा.

अनु०-२७ :- धार्मिक कर Tax पर प्रतिबंध :-

यदि किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई भी धार्मिक कर लगाया जाता है, तो वह कर देने के लिए बाध्य नहीं है।

जैसे - हज यात्रा कर, धार्मिक यात्रा कर.

Q. No.

अनु. 28 - शासकिय विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जायेगा
यदि दिया भी जाता है, तो ग्रहण करने के लिए
वाध्य नहीं है।

⇒ विश्व विद्यालय

⇒ परिषदीय विद्यालय

⇒ Addedal.

⇒ राजिकृत विद्यालय

शासकिय है।

✓ धार्मिक शिक्षा प्रदान किया जायेगा यदि विद्यालय किसी संस्था, ट्रस्ट द्वारा
संचालित हो।

⇒ शिक्षा, संस्कृति संरक्षण का अधिकार :- अनु-29 और-30.

अनु-29 :- अल्पसंख्यक, शिक्षा, संस्कृति लिपि को

संरक्षण का अधिकार :-

संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है।

- ↳ हिन्दी - देवनागरी
- ↳ पंजाबी - गुरुमुखी
- ↳ उर्दू - अरबी फारसी

पंजाब
↳ पंजाबी
↳ गैरपंजाबी.

भाषा के आधार पर
↳ राज्यों में

धर्म के आधार पर
↳ राज्य वगैरे भारत.

मुस्लिम
सिक्ख
जैन
बौद्ध
पारसी
इसाई.
↳ हिन्दु

अनु०-30:



अल्पसंख्यकों का अधिकार है।

अल्पसंख्यक लोग, अपने धर्म से सम्बंधित शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, और उसका प्रबंधन - Management कर सकते हैं।

मुस्लिम - मदरसा

इसाई - किश्चियन

Note: किसी भी अल्पसंख्यक विद्यालय का पोषण सरकार द्वारा किया जा रहा है तो उसके शुल्क का निर्धारण सरकार करेगी।

6: सम्पत्ति का अधिकार:

अनु-31:

निश्चित

44वां C.A.A-1978 के द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया अब अनु-30A में है।

अनु. 7-का: संवैधानिक उपचारों का अधिकार :- ⇒ भारतीय संविधान की आत्मा
↳ B.R. अम्बेडकर

अनु. 32: संवैधानिक उपचारों का अधिकार -

मूल अधिकार के हनन पर SC 5 प्रकार की writ जारी कर सकता है।

- ① वक्ति प्रत्यधिकरण :- Habeas Corpus - व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के हनन पर
- ② परमादेश - Mandamus - हम आदेश देते हैं। - सरकारी
- ③ अधिकार पुट्टा - Quo-Warranto - किस अधिकार से → सरकारी
- ④ प्रतिषेध - Prohibition - रोक लगाना → Put.
- ⑤ उत्प्रेषण - Certiorari → गौगलेना।

अउ-33:- प्रशासनिक व्यक्तियों, सेना पर शूल अधिकार लागू नहीं होगा। \Rightarrow सेना बल, अर्द्ध सेना बल।
→ पुलिस, सुरक्षागार्ड

अउ-34:- सेवा विधि लागू होते ही - शूल अधिकार लागू नहीं होगा।

→ मार्शल - Law - सेवा का कानून।

\Rightarrow AFSPA - सेवा क्षेत्र के आने आने वाले पर निगरानी।

अनु०-35: मूल अधिकार पर विधि बनाने का अधिकार संघ के
(संसद) पास होगा।

H.W. Offline Comment मे:-

Q:- अनु०-13 का विपरित कौन सा अनु० है ?